



पत्रांक : 1461 / फा0सं0-419 / अधि0नामित / स्था0 / DSMNRU / 2022-23

दिनांक : 16 अगस्त, 2022

// कार्यालय आदेश //

विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता, विशेष शिक्षा संकाय हेतु पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप को अवक्रमित करते हुए विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय-5 में संकायों के संकायाध्यक्ष सम्बन्धी धारा 5.01 से 5.04 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा संकाय के अधीन पाठ्यक्रमों के सुचारु संचालन, शिक्षकवृन्द एवं विद्यार्थियों की दैनिक आवश्यकताओं के त्वरित निस्तारण तथा विश्वविद्यालय प्रांगण में शैक्षिक अनुशासन बनाये रखने के लिए प्रो० आर० आर० सिंह, आचार्य, शिक्षाशास्त्र को उक्त संकाय का अधिष्ठाता नामित किया जाता है। श्री सिंह अपने कार्यों के साथ-साथ संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित कार्यों का भी निष्पादन करेंगे-

1. संकाय के अधीन शिक्षकवृन्द के मध्य अनुशासन स्थापित करना।
2. संकाय के शिक्षकवृन्द की दैनिक आवश्यकताओं के सुनियोजित प्रतिपूर्ति हेतु समन्वय स्थापित करना।
3. कुलपति महोदय अथवा उच्च स्तर से सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करना।

उपरोक्त पद पर कार्य हेतु कोई विशेष वेतन अथवा अन्य भत्ता देय नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. कुलानुशासक/परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. सम्बन्धित आचार्य, विश्वविद्यालय।
7. सम्बन्धित संकाय के समस्त शिक्षकवृन्द।
8. समस्त अधिकारीगण।
9. विश्वविद्यालय की वेबसाइट हेतु।
10. सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
11. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव